# राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020

**(2020 का अधिनियम संख्यांक 15)**

**[20 सितम्बर, 2020]**

**ऐसी चिकित्सा शिक्षा पद्धति के लिए, जो देश के सभी भागों में क्वालिटी और सस्ती आयुर्विज्ञान शिक्षा तक पहुंच बनाने में अभिवृद्धि करती है; जो पर्याप्त और उच्च क्वालिटी वाले होम्योपैथी चिकित्सा वृत्तिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है ; जो ऐसी साम्यापूर्ण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देख-रेख का संवर्धन करती है जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा मिलता है और सभी नागरिकों के लिए होम्योपैथी चिकित्सा वृत्तिकों की सेवाओं को सुगम और वहन करने योग्य बनाती है; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्यों का संवर्धन करती है; होम्योपैथी चिकित्सा वृत्तिकों को उनके कार्य में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अंगीकृत करने और अनुसंधान में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती है; जिसका उद्देश्य आयुर्विज्ञान संस्थाओं का आवधिक और पारदर्शी रूप से निर्धारण करना और भारत के लिए होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर के रखरखाव को सुकर बनाना तथा चिकित्सीय सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करना है; जो परिवर्तनशील आवश्यकताओं को अंगीकार करने के लिए सुनम्य है और जिसमें एक प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र सम्मिलित हो तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए**

**अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## अध्याय 1

## प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

**2.** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "स्वायत्त बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित कोई स्वायत्त बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 5 के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "परिषद्" से धारा 11 के अधीन गठित होम्योपैथी सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है ;

(च) "होम्योपैथी" से होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान प्रणाली अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत ऐसे जैव रसायन उपचार का उपयोग करना है जो ऐसे आधुनिक अभिदाय, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास द्वारा अनुपूरित है जिन्हें आयोग, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित करे ;

(छ) "होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड" से धारा 18 के अधीन होम्योपैथी शिक्षा के लिए गठित बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ज) "अनुज्ञप्ति" से धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन मंजूर की गई होम्योपैथी का व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(झ) "होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड" से धारा 18 के अधीन गठित चिकित्सा संस्थाओं का निर्धारण और रेटिंग बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ञ) "चिकित्सा संस्था" से भारत के भीतर या उसके बाहर की कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो होम्योपैथी में उपाधि, डिप्लोमा या अनुज्ञप्ति प्रदान करती है और इसके अंतर्गत सहबद्ध महाविद्यालय और मानित किए जाने वाले विश्वविद्यालय भी हैं ;

(ट) "सदस्य" से धारा 4 में निर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है ;

(ठ) "राष्ट्रीय रजिस्टर" से धारा 32 के अधीन होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा अनुरक्षित राष्ट्रीय होम्योपैथी चिकित्सा रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ड) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ढ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ण) "प्रधान" से धारा 20 के अधीन नियुक्त स्वायत्त बोर्ड का प्रधान अभिप्रेत है;

(त) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(थ) "राज्य चिकित्सा परिषद्" से किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होम्योपैथी व्यवसायियों के व्यवसाय को विनियमित करने और उनका रजिस्ट्रीकरण करने के लिए गठित राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है ;

(द) "राज्य रजिस्टर" से होम्योपैथी व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुरक्षित राज्य होम्योपैथी रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ध) "विश्वविद्यालय" का वह अर्थ होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में है और इसके अंतर्गत कोई स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी है ।

1956 का 3

**अध्याय 2**

## राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन ।

**3.** (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग का गठन करेगी जो उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा ।

(2) आयोग, पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

आयोग की संरचना ।

**4.** (1) आयोग, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) सात पदेन सदस्य ; और

(ग) उन्नीस अंशकालिक सदस्य ।

(2) अध्यक्ष, उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में स्नातकोत्तर उपाधि हो और होम्योपैथी के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो जिसमें से कम से कम दस वर्ष स्वास्थ्य देख-रेख परिदान, होम्योपैथी की उन्नति और विकास या उसकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में रहा हो ।

(3) निम्नलिखित व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड का प्रधान ;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड का प्रधान ;

(ग) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का प्रधान ;

(घ) आयुष मंत्रालय में सलाहकार (होम्योपैथी) या भारत सरकार का संयुक्त सचिव, जो होम्योपैथी का भारसाधक है ;

(ङ) निदेशक, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता ;

(च) निदेशक, पूर्वोत्तर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग ; और

(छ) महानिदेशक, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, जनकपुरी, नई दिल्ली ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाने वाले ऐसे तीन सदस्य, जिनके पास होम्योपैथी, प्रबंध, विधि, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हों ;

(ख) सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम आधार पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले दस सदस्य ;

(ग) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से ऐसी रीति में जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने वाले सलाहकार परिषद् के छह सदस्य :

परंतु कोई सदस्य या तो स्वयं या अपने कुटुम्ब सदस्यों में से किसी सदस्य के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी प्राइवेट या गैर-सरकारी आयुर्विज्ञान संस्था, जो इस अधिनियम के अधीन विनियमित है, के प्रबंध निकाय का स्वामी नहीं होगा या उसके साथ सहबद्ध नहीं होगा या उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा ।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा और धारा 19 के प्रयोजन के लिए "अग्रणी" पद से कोई विभागाध्यक्ष या किसी संगठन का प्रधान अभिप्रेत है ।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति ।

**5.** (1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनी खोजबीन समिति की सिफारिश पर धारा 4 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के प्रधान की नियुक्ति करेगी,—

(क) मंत्रिमंडल सचिव – अध्यक्ष ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विशेषज्ञ, जिनके पास होम्योपैथी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो – सदस्य ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट सदस्यों में से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ – सदस्य ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति, जो उत्कृष्ट अर्हताएं और स्वास्थ्य अनुसंधान, प्रबंध, विधि, अर्थशास्त्र या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो – सदस्य ;

(ङ) आयुष का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जो संयोजक होगा – सदस्य :

परन्तु धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट आयोग के अंशकालिक सदस्यों, धारा 8 में निर्दिष्ट सचिव और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के अन्य सदस्यों के चयन के लिए खोजबीन समिति खंड (ख) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों और संयोजक-सदस्य के रूप में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मिलकर बनेगी तथा इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के भारसाधक सचिव द्वारा की जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी रिक्ति के होने, जिसके अन्तर्गत, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति भी है, की तारीख से एक मास के भीतर या अध्यक्ष अथवा सदस्य की अवधि की समाप्ति से पूर्व तीन मास के भीतर रिक्ति को भरने के लिए खोजबीन समिति को निर्देश करेगी ।

(3) खोजबीन समिति, उसको निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

(4) आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व, खोजबीन समिति स्वयं का यह समाधान करेगी कि ऐसा व्यक्ति कोई वित्तीय या अन्य हित तो नहीं रखता है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(5) अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति केवल खोजबीन समिति के किसी सदस्य की किसी रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

(6) उपधारा (2) से उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खोजबीन समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी ।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

**6.** (1) अध्यक्ष और सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) तथा धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :

परंतु ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस आधार पर, जिसका वह ऐसा सदस्य है, पद धारण करता है ।

(3) जहां पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, आयोग के तीन क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है और उसकी ऐसी अनुपस्थिति का कारण आयोग की राय में कोई विधिमान्य कारण नहीं माना जा सकता वहां ऐसे सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है ।

(4) अध्यक्ष और किसी पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को संदेय वेतन तथा भत्ते और उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(5) अध्यक्ष या कोई सदस्य—

(क) केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा ; या

(ख) धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा विनिश्चय करती है तो ऐसा व्यक्ति तीन मास से पहले कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकेगा या तीन मास से आगे जब तक कोई उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं हो जाता है, बने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(6) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपना पद ग्रहण करते समय और अपना पद छोड़ते समय अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की घोषणा करेगा और अपनी वृत्तिक तथा वाणिज्यिक वचनबंध या अन्तर्गस्तता को भी ऐसे प्ररूप और रीति में घोषित करेगा जो विहित की जाए और ऐसी घोषणा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी ।

(7) अध्यक्ष या कोई सदस्य, उस रूप में पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर, ऐसे पद को त्यागने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी हैसियत में, जिसके अन्तर्गत कोई परामर्शी या कोई विशेषज्ञ भी है, किसी प्राइवेट होम्योपैथी चिकित्सा संस्था में या जिसका मामला ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: निपटाया गया है, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा:

परंतु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या अनुरक्षित किसी निकाय या संस्था, जिसके अन्तर्गत होम्योपैथी चिकित्सा संस्था भी है, में कोई नियोजन स्वीकार करने से निवारित करती है ।

(8) उपधारा (7) में की कोई बात, केन्द्रीय सरकार को अध्यक्ष या किसी सदस्य को किसी ऐसे प्राइवेट होम्योपैथी चिकित्सा संस्था में किसी भी हैसियत में, जिसके अन्तर्गत कोई परामर्शदाता या विशेषज्ञ भी है, जिसका मामला ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा निपटाया गया है, में कोई नियोजन स्वीकार करने से निवारित नहीं करेगी ।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना ।

**7.** (1) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ;

(ग) जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(घ) जो विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(च) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल है ।

(2) किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति ।

**8.** (1) आयोग का एक सचिवालय होगा जिसका प्रधान सचिव होगा, जिसकी नियुक्ति धारा 5 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

(2) आयोग का सचिव प्रमाणित प्रशासनिक योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो, जो विहित किया जाए ।

(3) सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(4) सचिव, आयोग के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो आयोग द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं और जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(5) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सृजित पदों पर ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(6) आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(7) आयोग, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, उतनी संख्या में, जितनी वह आवश्यक समझे, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता करने के लिए सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाले ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियुक्त कर सकेगा, जो होम्योपैथी का विशेष ज्ञान तथा होम्योपैथी, लोक स्वास्थ्य, प्रबंध, अर्थशास्त्र, प्रत्यायन, रोगी परामर्शी सेवा, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, लेखा या विधि में अनुभव रखते हैं ।

आयोग की बैठकें ।

**9.** (1) आयोग, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए ।

(2) अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष, आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा कोई सदस्य, जो किसी स्वायत्त बोर्ड का प्रधान है, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं कर दी जाती है तब तक आयोग के सदस्यों की कुल संख्या के आधा, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, से गणपूर्ति होगी और आयोग के सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्वायत्त बोर्ड के प्रधान का निर्णायक मत होगा ।

(4) आयोग के प्रशासन का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अध्यक्ष में निहित होगा ।

(5) आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ।

(6) ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन दिए गए विनिश्चय के सिवाय, आयोग के किसी विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसे विनिश्चय की संसूचना के पंद्रह दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

आयोग की शक्ति और कृत्य ।

**10.** (1) आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) होम्योपैथी की शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना ;

(ख) आयुर्विज्ञान संस्थाओं, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों को विनियमित करने के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना ;

(ग) स्वास्थ्य देख-रेख में अपेक्षाओं, जिनके अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन और स्वास्थ्य संबंधी देख-रेख अवसंरचना भी हैं, का निर्धारण करना; और ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य योजना विकसित करना ;

(घ) ऐसे विनियम बनाकर जो आयोग, स्वायत्त बोर्डों और राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषदों के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक हों, मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना और नीतियां अधिकथित करना ;

(ङ) स्वायत्त बोर्डों के बीच समन्वय को सुनिश्चित करना ;

(च) ऐसे उपाय करना, जो इस अधिनियम के अधीन उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए इस अधिनियम के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धातों और बनाए गए विनियमों का राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ;

(छ) स्वायत्त बोर्डों के विनिश्चयों के संबंध में अपीली अधिकारिता का प्रयोग करना ;

(ज) चिकित्सा व्यवसाय में वृत्तिक नैतिकता का पालन सुनिश्चित करने और चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा देख-रेख की व्यवस्था के दौरान नैतिक आचरण का संवर्धन करने के लिए विनियम बनाना ;

(झ) ऐसे प्राइवेट आयुर्विज्ञान संस्थाओं और मानित विश्वविद्यालयों में के, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित होते हैं, पचास प्रतिशत स्थानों के संबंध में फीस और अन्य सभी प्रभारों को अवधारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना ;

(ञ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ।

(2) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे तथा आयोग, सचिव को प्रशासनिक और वित्तीय विषयों पर अपनी ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(3) आयोग उपसमितियों का गठन कर सकेगा और उनको अपनी उन शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो विनिर्दिष्ट कार्यों को पूरा किए जाने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों ।

**अध्याय 3**

## होम्योपैथी सलाहकार परिषद्

होम्योपैथी सलाहकार परिषद् का गठन और संरचना ।

**11.** (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा होम्योपैथी सलाहकार परिषद् नामक एक सलाहकार निकाय का गठन करेगी ।

(2) परिषद्, एक अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) आयोग का अध्यक्ष परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) आयोग का प्रत्येक सदस्य परिषद् का पदेन सदस्य होगा;

(ग) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो उस राज्य में किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, जिसके पास होम्योपैथी में अर्हताएं हों, जिसे उस राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो उस संघ राज्यक्षेत्र में के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो, जिसके पास होम्योपैथी में अहर्ताएं हों, जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु जहां होम्योपैथी में अर्हताएं रखने वाला कुलपति उपलब्ध नहीं है, वहां होम्योपैथी में अहर्ताएं रखने वाला कोई संकायाध्यक्ष या संकाय के प्रधान को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(घ) राज्य हौम्योपैथी चिकित्सा परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ऐसा सदस्य, जिसे उस राज्य की चिकित्सा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ;

(च) निदेशक, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् ;

(छ) चार सदस्य, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान में निदेशक के पद धारण करने वाले व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ज) परिषद् में गैर-पदेन सदस्यों की पदावधि चार वर्ष की होगी ।

होम्योपैथी सलाहकार परिषद् के कृत्य ।

**12.** (1) परिषद्, ऐसा प्राथमिक मंच होगा जिसके माध्यम से राज्य और संघ राज्यक्षेत्र आयोग के समक्ष अपने विचार तथा सरोकार रख सकेंगे और जो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास से संबंधित समग्र कार्यसूची, नीति और कार्रवाई को तैयार करने में सहायक हो सके ।

(2) परिषद्, आयोग को ऐसे उपायों के बारे में सलाह देगी जो चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास संबंधी सभी मामलों में न्यूनतम मानकों का अवधारण करने तथा उनको बनाए रखने और उनके रखरखाव का समन्वय करने से संबंधित हो ।

(3) परिषद्, आयोग को चिकित्सा शिक्षा तक साम्यापूर्ण पहुंच की वृद्धि करने के उपायों पर सलाह देगी ।

होम्योपैथी सलाहकार परिषद् की बैठकें ।

**13.** (1) परिषद्, वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय तथा स्थान पर बैठक करेगी जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(2) अध्यक्ष, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष, परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट ऐसा अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) जब तक कि विनियमों द्वारा प्रक्रिया अन्यथा उपबंधित न की जाए, तब तक अध्यक्ष सहित परिषद् के आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी और परिषद् के सभी कार्य उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे ।

### अध्याय 4

## राष्ट्रीय परीक्षा

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा ।

**14.** (1) इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में होम्योपैथी की स्नातकपूर्व में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा होगी ।

(2) आयोग, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में संचालित करेगा ।

(3) आयोग विनियमों द्वारा, इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसेलिंग संचालित करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा :

परन्तु सामान्य काउंसेलिंग—

(i) अखिल भारतीय स्थानों के लिए केन्द्रीय सरकार ; और

(ii) राज्य स्तर पर शेष स्थानों के लिए राज्य सरकार,

के अभिहित प्राधिकारी द्वारा संचालित होगी ।

**15.** (1) राष्ट्रीय निकास परीक्षा के नाम से ज्ञात सामान्य अंतिम वर्ष स्नातकपूर्व चिकित्सा परीक्षा का आयोजन होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए और यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए किया जाएगा । राष्ट्रीय निकास परीक्षा ।

(2) आयोग, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा संचालित करेगा ।

(3) राष्ट्रीय निकास परीक्षा उस तारीख से, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, तीन वर्ष के भीतर ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवर्तनशील होगी ।

(4) विदेशी चिकित्सा अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में होम्योपैथी व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु और यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अर्हित करना होगा ।

**16.** (1) इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में होम्योपैथी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा संचालित की जाएगी । स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ।

(2) आयोग, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा संचालित करेगा ।

(3) आयोग, विनियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर सीटों के लिए प्रवेश हेतु अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसेलिंग संचालित करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगा ।

**17.** (1) राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा होम्योपैथी के उन स्नातकोत्तरों के लिए पृथक़तः संचालित की जाएगी जो उस विधाशाखा में अध्यापन व्यवसाय अपनाने की वांछा रखते हैं । होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा ।

(2) आयोग ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय होम्योपैथी अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित करेगा ।

(3) राष्ट्रीय होम्योपैथी अध्यापक पात्रता परीक्षा उस तारीख से, जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, तीन वर्ष के भीतर ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रवर्तनशील होगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात, उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित तारीख से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को लागू नहीं होगी ।

**अध्याय 5**

## स्वायत्त बोर्ड

**18.** (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा आयोग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का, इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को समनुदेशित स्वायत्त बोर्ड का गठन ।

कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी, अर्थात्:—

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड ;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड ; और

(ग) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बोर्ड, एक स्वायत्त निकाय होगा जो आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेगा ।

स्वायत्त बोर्डों की संरचना ।

**19.** (1) स्वायत्त बोर्डों की संरचना निम्नानुसार होगी, अर्थात्:—

(क) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, होम्योपैथी की विधाशाखा से एक प्रधान और चार सदस्यों से मिलकर बनेगा ;

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड होम्योपैथी की विधाशाखा से एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से एक सदस्य होम्योपैथी की विधाशाखा से होगा और दूसरा सदस्य प्रत्यायन विशेषज्ञ होगा ;

(ग) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, होम्योपैथी की विधाशाखा से एक अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से एक सदस्य होम्योपैथी की विधाशाखा से होगा और दूसरा सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो चिकित्सा आचार पर कार्य के लोक अभिलेख का प्रदर्शन कर चुका है या गुणवत्ता आश्वासन, लोक स्वास्थ्य, विधि या रोगी पक्ष समर्थन में से किसी विधाशाखा से चुना गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन चुने जाने वाले स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्य उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विधाशाखाओं में स्नातकोत्तर उपाधि हो और जो संबंधित क्षेत्रों में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव रखते हों जिनमें से कम से कम सात वर्ष अग्रणी के रूप में रहे हो:

परन्तु होम्योपैथी के प्रधान और सदस्य की दशा में, अग्रणी के रूप में सात वर्ष होम्योपैथी में स्वास्थ्य, उन्नति और शिक्षा के विकास के क्षेत्र में रहे हों ।

प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति ।

**20.** केन्द्रीय सरकार, धारा 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार तद्धीन गठित खोजबीन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति करेगी ।

प्रधान और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

**21.** (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का प्रधान और सदस्य चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पदधारण करेंगे और किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होगीं, जो विहित की जाएं ।

(3) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों से

संबंधित धारा 6 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) और उनके पद से हटाए जाने से संबंधित धारा 7 में अन्तर्विष्ट उपबंध, स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों को भी लागू होंगे ।

**22.** (1) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के सिवाय प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी सलाहकार समितियों द्वारा की जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आयोग द्वारा गठित की जाएं । विशेषज्ञों की सलाहकार समिति ।

(2) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी नैतिक समितियों द्वारा की जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए गठित की जाएं ।

**23.** धारा 8 के अधीन नियुक्त विशेषज्ञों, वृतिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को स्वायत्त बोर्डों को, उतनी संख्या में और ऐसी रीति में उपलब्ध कराया जाएगा जो आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । स्वायत्त बोर्डों के कर्मचारिवृन्द ।

**24.** (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर, जो वह नियत करे, बैठक करेगा । स्वायत्त बोर्डों की बैठकें ।

(2) ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, स्वायत्त बोर्डों के सभी विनिश्चय सर्वसम्मति से किए जाएंगे और यदि सर्वसम्मति संभव नहीं है तो विनिश्चय, प्रधान और सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो स्वायत्त बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के तीस दिन के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध आयोग को अपील कर सकेगा ।

**25.** (1) आयोग, प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के प्रधान को निर्विघ्न और दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए ऐसे बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए अपनी सभी या किन्हीं प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा । शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

(2) किसी स्वायत्त बोर्ड का प्रधान उस बोर्ड के किसी सदस्य या अधिकारी को अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति का और प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

**26.** (1) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:— होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

(क) स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट स्तरों पर शिक्षा के मानकों का अवधारण करना और उनसे संबंधित सभी पहलुओं का पर्यवेक्षण करना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार सभी स्तरों पर होम्योपैथी के लिए सक्षमता आधारित गत्यात्मक पाठ्यक्रम को ऐसी रीति में विकसित करना जो स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट छात्रों में समुचित कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्यों और नैतिकता को विकसित करता है और उन्हें स्वास्थ्य देख-रेख उपलब्ध कराने, चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने तथा चिकित्सा अनुसंधान करने में समर्थ बनाता है ;

(ग) देश की आवश्यकताओं, वैश्विक सन्नियमों और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए, होम्योपैथी में स्नातकपूर्व,

स्नातकोत्तर और अतिविशिष्ट पाठ्यक्रमों को प्रदान करने वाली आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त विरचित करना ;

(घ) स्थानीय स्तरों पर सृजनात्मक आवश्यकताओं और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए, आयुर्विज्ञान संस्थाओं में पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं को संचालित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं और मानकों को अवधारित करना ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, होम्योपैथी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में शिक्षा और अनुसंधान की अवसंरचना, संकाय और क्वालिटी के लिए मानकों और सन्नियमों का अवधारण करना ;

(च) होम्योपैथी आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अपने ऐसे कृत्यों के सबंध में, जो विभिन्न पणधारियों, जिनमें छात्र, संकाय, आयोग और सरकार भी हैं, के हित से संबंधित हैं, इलैक्ट्रानिक रूप से और अन्यथा अनिवार्य वार्षिक प्रकटन के लिए सन्नियम विनिर्दिष्ट करना;

(छ) संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुकर बनाना;

(ज) अनुसंधान कार्यक्रम को सुकर बनाना ;

(झ) सभी स्तरों पर होम्योपैथी चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करना ।

(2) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और ऐसे निदेश की मांग कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

**27.** (1) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 32 के उपबंधों के अनुसार, होम्योपैथी के सभी अनुज्ञप्त व्यवसायियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखना ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, वृत्तिक आचरण को विनियमित करना और चिकित्सीय नैतिकता का संवर्धन करना :

परन्तु होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, उस दशा में जहां ऐसी राज्य चिकित्सा परिषद् को संबंधित राज्य अधिनियमों के अधीन चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा वृत्तिक या नैतिक कदाचार की बाबत अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदत्त की गई है, वहां राज्य चिकित्सा परिषद् के माध्यम से वृत्तिक और नैतिक आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ;

(ग) होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायियों के आचरण को प्रभावी रूप से अभिवृद्धि करने और विनियमित करने के लिए राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् के साथ निरन्तर संपर्क बनाए रखने के लिए तंत्र विकसित करना ;

(घ) धारा 31 के अधीन किसी राज्य चिकित्सा परिषद् के द्वारा की गई

कार्रवाई के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना ।

(2) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और उससे ऐसे निदेशों की मांग कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

**28.** (1) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाए विनियमों के अनुसार, आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग की प्रक्रिया का होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों का उनके अनुपालन के आधार पर अवधारण करना ;

(ख) धारा 29 के उपबंधों के अनुसार, नई आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना करने या किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने या स्थानों की संख्या को बढ़ाने के लिए अनुज्ञा प्रदान करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, ऐसी संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण करना :

परन्तु होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, यदि यह आवश्यक समझे, तो ऐसी संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण करने हेतु किसी अन्य तृतीय पक्षकार अभिकरण या व्यक्तियों को किराए पर ले सकेगा और उन्हें प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्राधिकृत ऐसे तृतीय पक्षकार अभिकरण या व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, वहां ऐसी संस्थाओं के लिए बाध्यकारी होगा कि वे ऐसे अभिकरण या व्यक्ति तक पहुंच का उपबंध करें ;

(घ) ऐसी सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं को उनके खुलने की ऐसी अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर और रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संचालित करने, उनका निर्धारण करने तथा उनका रेट करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को संचालित करना या जहां यह आवश्यक समझे, उन्हें पैनलीकृत करना ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग को नियमित अन्तरालों पर अपनी वेबसाइट पर या लोकाधिकारी क्षेत्र में उपलब्ध कराना ;

(च) किसी आयुर्विज्ञान संस्था के विरुद्ध, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में उसकी असफलता के लिए ऐसे उपाय करना, जिनके अन्तर्गत चेतावनी जारी करना, धनीय शास्ति का अधिरोपण करना, प्रवेश के अन्तर्ग्रहण या ठहराव को कम करना और आयोग को मान्यता की वापसी के

लिए सिफारिश करना भी है ।

(2) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और उससे ऐसे निदेशों की मांग कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

नई आयुर्विज्ञान संस्था स्थापित करने के लिए अनुज्ञा ।

**29.** (1) कोई व्यक्ति होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई नई आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना नहीं करेगा या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेगा या स्थानों की संख्या नहीं बढ़ाएगा ।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "व्यक्ति" पद के अन्तर्गत कोई विश्वविद्यालय या कोई न्यास या कोई अन्य निकाय भी है किन्तु इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड को एक स्कीम, ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुए, ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस के साथ और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त स्कीम पर विचार करते समय, होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड शिक्षा और अनुसंधान मानकों, अवसंरचना और संकाय संबंधी मानकों और सन्नियमों, आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना करने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों और होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा अवधारित अन्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखेगा और ऐसी स्कीम की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने वाला कोई आदेश पारित करेगा :

परंतु ऐसी स्कीम को अननुमोदित करने से पहले, संबंधित व्यक्ति को त्रुटियों का, यदि कोई हो, सुधार करने के लिए अवसर प्रदान करेगा ।

(4) जहां, उपधारा (3) के अधीन कोई स्कीम अनुमोदित की जाती है, वहां ऐसा अनुमोदन नई आयुर्विज्ञान संस्था स्थापित करने के लिए उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा होगी ।

(5) जहां, कोई स्कीम उपधारा (3) के अधीन अननुमोदित की जाती है या जहां उपधारा (2) के अधीन किसी स्कीम को प्रस्तुत करने के तीन मास के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, वहां संबंधित व्यक्ति, आयोग को, यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन के पंद्रह दिन के भीतर या तीन मास बीत जाने के पश्चात्, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील कर सकेगा ।

(6) जहां, आयोग ने स्कीम का अननुमोदन कर दिया है या उपधारा (5) के अधीन अपील करने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया है, वहां संबंधित व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार को यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन की संसूचना के सात दिन के भीतर या पंद्रह दिन की विनिर्दिष्ट अवधि बीत जाने पर दूसरी अपील कर सकेगा ।

(7) होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड किसी पूर्व सूचना के बिना किसी

भी समय या तो सीधे या किसी अन्य विशेषज्ञ के माध्यम से, जिसे चिकित्सा वृत्ति में सत्यनिष्ठा और अनुभव हो, किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था का मूल्यांकन और निर्धारण कर सकेगा तथा ऐसे विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के निष्पादन, मानकों और निर्देश चिह्नों का निर्धारण और मूल्यांकन कर सकेगा ।

स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने के लिए मानदंड ।

**30.** धारा 29 के अधीन किसी स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करते समय, यथास्थिति, होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड या आयोग निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगा, अर्थात् :—

(क) अवसंरचना और वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता ;

(ख) क्या पर्याप्त शैक्षणिक संकाय, अध्यापनेतर कर्मचारिवृंद और ऐसी अन्य आवश्यक सुविधाओं का आयुर्विज्ञान संस्था के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने हेतु उपबंध किया गया है या स्कीम में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर उपबंध कर दिया जाएगा ;

(ग) क्या पर्याप्त चिकित्सालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं या स्कीम में विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर प्रदान कर दिया जाएगा ;

(घ) ऐसे अन्य कारक, जो विहित किए जाएं :

परन्तु केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसी आयुर्विज्ञान संस्थाओं के लिए जो ऐसे क्षेत्रों में स्थापित हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, मानदंडों को शिथिल किया जा सकेगा ।

राज्य चिकित्सा परिषद् ।

**31.** (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के भीतर, यदि किसी राज्य में कोई राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् विद्यमान नहीं है तो वह उस राज्य में ऐसी परिषद् की स्थापना करेगी ।

(2) जहां कोई राज्य अधिनियम, राज्य चिकित्सा परिषद् को, होम्योपैथी के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के किसी वृत्तिक या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है, वहां राज्य चिकित्सा परिषद् इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों और विरचित मार्गदर्शक-सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगी :

परंतु उस समय तक, जब तक कि किसी राज्य में राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद् की स्थापना नहीं हो जाती है, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, उस राज्य में ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस राज्य में होम्योपैथी के रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के किसी वृत्तिक या नैतिक कदाचार से संबंधित परिवादों और शिकायतों को प्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि यथास्थिति, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् ऐसे किसी व्यवसायी को, कोई आदेश पारित करने या कोई कार्रवाई करने से पूर्व, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धनीय शास्ति अधिरोपित किया जाना भी है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा ।

(3) कोई होम्योपैथी व्यवसायी, जो निम्नलिखित द्वारा पारित किसी आदेश या की गई कार्रवाई से व्यथित है—

(क) उपधारा (2) के अधीन राज्य चिकित्सा परिषद्, होम्योपैथी नैतिक और

रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा और उस पर होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का विनिश्चय, यदि कोई हो, ऐसी राज्य चिकित्सा परिषद् पर तब तक आबद्धकर होगा, जब तक कि उपधारा (4) के अधीन दूसरी अपील फाइल नहीं कर दी जाती है ;

(ख) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड उपधारा (2) के पहले परंतुक के अधीन आयोग को अपील कर सकेगा ।

(4) ऐसा कोई होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी, जो होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के साठ दिन के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा ।

**स्पष्टीकरण**—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "राज्य" के अंतर्गत कोई संघ राज्यक्षेत्र भी है और किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" और "राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद्" पदों से क्रमशः "केन्द्रीय सरकार" और "होम्योपैथी संघ राज्यक्षेत्र चिकित्सा परिषद्" अभिप्रेत है;

(ख) "वृत्तिक या नैतिक कदाचार" पद के अंतर्गत ऐसे किसी कार्य को करना या उसका लोप भी है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

होम्योपैथी का राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ।

**32.** (1) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखेगा, जिसमें होम्योपैथी के किसी अनुज्ञप्त चिकित्सा व्यवसायी का नाम, पता और उसके द्वारा धारण की जाने वाली सभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप में, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है, और ऐसी रीति में रखा जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) राष्ट्रीय रजिस्टर में किसी नाम या अर्हता को जोड़े जाने या उससे हटाए जाने की रीति और उसके हटाए जाने के आधार वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) राष्ट्रीय रजिस्टर, होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की वेबसाइट पर डालकर जनसाधारण को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) प्रत्येक राज्य चिकित्सा परिषद्, विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक रूपविधान में एक राज्य रजिस्टर रखेगी तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन करेगी और उसकी एक प्रति इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन मास के भीतर होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड को प्रदाय करेगी ।

(6) होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ऐसी रीति में इलैक्ट्रानिक रूप से समसामयिक रहे कि ऐसे किसी एक रजिस्टर में कोई परिवर्तन स्वतः ही अन्य रजिस्टर में प्रतिबिंबित हो ।

राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किए जाने वाले व्यक्तियों के अधिकार और इस संबंध में उनकी बाध्यताएं ।

**33.** (1) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास इस अधिनियम के अधीन होम्योपैथी में कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता है और जो धारा 15 के अधीन आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय निकास परीक्षा में अर्हता प्राप्त करता है, उसे होम्योपैथी में व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति होगी और उसके नाम तथा अर्हताओं को, यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या किसी राज्य रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा :

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व और धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निकास परीक्षा प्रचालित होने से पहले होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन रखे गए होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम के अधीन प्रथमतः अनुरक्षित राज्य रजिस्टर में और तत्पश्चात् राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा ।

1973 का 59

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने भारत से बाहर के किसी देश में स्थापित आयुर्विज्ञान संस्था से होम्योपैथी में कोई अर्हता अभिप्राप्त की है और जो उस देश में होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में मान्यताप्राप्त है, इस अधिनियम के प्रारंभ तथा धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन होम्योपैथी की राष्ट्रीय निकास परीक्षा के प्रचालन में आने के पश्चात् होम्योपैथी के राष्ट्रीय रजिस्टर में तब तक नामांकित नहीं किया जाएगा, जब तक वह होम्योपैथी की राष्ट्रीय निकास परीक्षा अर्हित नहीं कर लेता है ।

(3) जब ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाता है, कोई उपाधि, डिप्लोमा, विज्ञान या चिकित्सा में प्रवीणता संबंधी ऐसी कोई अर्हता अभिप्राप्त करता है जो, यथास्थिति, धारा 34 या धारा 35 के अधीन एक मान्यताप्राप्त अर्हता है, तो वह, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता को राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में अपने नाम के सामने प्रविष्ट किए जाने का हकदार होगा ।

व्यक्तियों का व्यवसाय करने का अधिकार ।

**34.** (1) यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति,—

(क) एक अर्हित व्यवसायी के रूप में होम्योपैथी में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(ख) चिकित्सक या शल्य चिकित्सक के रूप में कोई पद या ऐसा कोई अन्य पद, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, धारण नहीं करेगा, जिसे, यथास्थिति, चिकित्सक या शल्य चिकित्सक द्वारा धारित किया जाना है ;

(ग) सम्यक् रूप से किसी अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित किए जाने के लिए, किसी विधि द्वारा अपेक्षित है, किसी चिकित्सा या आरोग्य प्रमाणपत्र या किसी अन्य ऐसे प्रमाणपत्र पर, हस्ताक्षर करने या उसे अधिप्रमाणित करने का हकदार नहीं होगा ;

1872 का 1

(घ) किसी मृत्यु-समीक्षा में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में होम्योपैथी से संबंधित किसी विषय पर किसी न्यायालय में साक्ष्य देने का हकदार नहीं होगा :

परंतु आयोग ऐसे व्यवसायियों की एक सूची, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि ऐसे किसी विदेशी नागरिक को, जो अपने देश में, उस देश में ऐसे व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार होम्योपैथी में व्यवसायी के रूप में नामांकित है, उसे भारत में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्य करता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) की कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी कि,—

(क) किसी राज्य रजिस्टर में होम्योपैथी के व्यवसायी के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति के किसी भी राज्य में व्यवसाय करने के अधिकार को, केवल इस आधार पर प्रभावित नहीं करेगी कि उसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता नहीं है ;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी राज्य में कम से कम पांच वर्ष से होम्योपैथी में व्यवसाय कर रहा है, उस राज्य में व्यवसाय जारी रखने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जिसमें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को होम्योपैथी का राज्य रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जाता है ।

**अध्याय 6**

## होम्योपैथी की अर्हताओं को मान्यता

भारत में विश्वविद्यालयों या आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त अर्हताओं को मान्यता ।

**35.** (1) भारत में किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा होम्योपैथी में स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर या अति विशिष्ट स्तर पर प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं को होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा तथा ऐसी चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी ।

(2) भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, जो होम्योपैथी में स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर या अति विशिष्ट अर्हता प्रदान करता है, किंतु उसे होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, वह ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने के लिए उस बोर्ड को आवेदन कर सकेगा ।

(3) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, मान्यता प्रदान करने के लिए किसी आवेदन की, छह मास की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परीक्षा करेगा ।

(4) जहां, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, मान्यता प्रदान करने का विनिश्चय करता है, वहां, वह ऐसी अर्हता को उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित करेगा और ऐसी मान्यता को प्रभावी करने की तारीख भी विनिर्दिष्ट करेगा, अन्यथा वह मान्यता प्रदान न करने के अपने विनिश्चय की संसूचना संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था को देगा ।

(5) व्यथित विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को अपील कर सकेगी ।

(6) आयोग, उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील की दो मास की अवधि के भीतर परीक्षा करेगा और यदि यह विनिश्चय करता है कि ऐसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान की जा सकेगी तो वह संबद्ध बोर्ड को, ऐसी अर्हता को उस बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,सम्मिलित करने का निदेश दे सकेगा ।

(7) जहां आयोग उपधारा (6) के अधीन मान्यता प्रदान न करने का विनिश्चय करता है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिश्चय करने में असफल रहता है, वहां व्यथित विश्वविद्यालय या संबंधित आयुर्विज्ञान संस्था, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से या विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को दूसरी अपील कर सकेगा ।

(8) ऐसी सभी चिकित्सा अर्हताओं को, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से
1973 का 59 पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा भी ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसे सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा ।

भारत के बाहर आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता ।

**36.** (1) जहां भारत से बाहर किसी देश में कोई प्राधिकरण, जिसे उस देश की विधि द्वारा, उस देश में होम्योपैथी की अर्हताओं की मान्यता का कार्य सौंपा गया है, भारत में ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु आयोग को कोई आवेदन करता है, वहां आयोग, ऐसे सत्यापन के अधीन रहते हुए, जिसे वह आवश्यक समझे, उस चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान कर सकेगा या मान्यता प्रदान करने से इंकार कर सकेगा ।

(2) जहां आयोग, उपधारा (1) के अधीन किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करता है, वहां ऐसी अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी और उसे ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित किया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां आयोग किसी अर्हता को मान्यता प्रदान न करने का विनिश्चय करता है, वहां आयोग ऐसी मान्यता.को प्रदान करने से इंकार करने से पूर्व उस प्राधिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

(3) जहां आयोग, उपधारा (2) के अधीन किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करने से इंकार करता है, वहां संबद्ध प्राधिकरण मान्यता प्रदान किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

(4) ऐसी सभी अर्हताएं, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता
1973 का 59 प्रदान की गई है और जिन्हें होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तीसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी और उन्हें आयोग द्वारा ऐसी रीति में, जो

विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा ।

अर्हता की मान्यता वापस लेना या मान्यता समाप्त करना ।

**37.** (1) जहां आयोग को, होम्योपैथी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि—

(क) किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा चलाए जा रहे अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षा या उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है; या

(ख) होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड द्वारा यथा अवधारित आयुर्विज्ञान संस्थाओं में अवसंरचना, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानकों और सन्नियमों का किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है और ऐसा विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रही है,

वहां आयोग, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरम्भ कर सकेगा :

परंतु आयोग स्वप्रेरणा से किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त मान्यता वापस लेने की कार्रवाई करने से पूर्व धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगा ।

(2) आयोग, ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझे, और राज्य सरकार तथा संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त की गई मान्यता को वापस लिया जाना चाहिए, तो वह आदेश द्वारा, ऐसी चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त की गई मान्यता को वापस ले सकेगा और होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के सामने की प्रविष्टियों में इस प्रभाव का संशोधन करे कि ऐसी अर्हता को अनुदत्त की गई मान्यता, उस आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ली जाती है ।

(3) यदि आयोग की, भारत से बाहर किसी देश के प्राधिकरण से सत्यापन के पश्चात्, यह राय है कि कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता की, जिसे उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित किया गया है, मान्यता को समाप्त किया जाना है, वहां वह आदेश द्वारा, ऐसी चिकित्सा अर्हता की मान्यता को समाप्त कर सकेगा और उसे ऐसे आदेश की तारीख से आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची से हटा सकेगा ।

कतिपय दशाओं में अर्हताओं की मान्यता के लिए विशेष उपबंध ।

**38.** जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो वह अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि भारत से बाहर किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की गई होम्योपैथी में कोई अर्हता, ऐसी तारीख के पश्चात्, जिसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी :

परंतु ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति को उस देश में तत्समय प्रवृत्त चिकित्सा

व्यवसायी के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार किसी चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नामांकित किया गया है :

परंतु यह और कि ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय ऐसी अवधि के लिए सीमित होगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह भी कि ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय निकास परीक्षा अर्हित करता है ।

**अध्याय 7**

## अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

**39.** केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् की विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को ऐसी धनराशि का अनुदान कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे ।

होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग निधि ।

**40.** (1) "होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग निधि" नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(क) आयोग और स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, फीस, शास्तियां और प्रभार ;

(ख) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोत से, जो उसके द्वारा विनिश्चित किया जाए, प्राप्त सभी धन राशियां ।

(2) इस निधि को निम्नलिखित के मद्दे संदाय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा—

(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा प्रशासनिक व्ययों, जिनके अंतर्गत आयोग तथा स्वायत्त बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उपगत व्ययों या उपगत होने वाले व्ययों, जिसके अंर्तगत आयोग और स्वायत्त बोर्डों के कृत्यों के निर्वहन से जुड़े व्यय भी हैं ।

संपरीक्षा और लेखा ।

**41.** (1) आयोग, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के होते हैं और विशिष्ट रूप से अभिलेखों, पुस्तकों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और उस तक पूर्ण पहुंच बनाने तथा आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ आयोग द्वारा वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे, जिन्हें प्राप्त करने के पश्चात् वह उसे यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

विवरणियों और रिपोर्टों का केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाना ।

**42.** (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, ऐसी रिपोर्टों और विवरणियों तथा आयोग की अधिकारिता के अधीन किसी विषय से संबंधित ऐसी विशिष्टियां को, जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा ।

(2) आयोग, प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का एक संक्षिप्त विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी प्राप्ति के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

## अध्याय 8

## प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की आयोग और स्वायत्त बोर्डों को निदेश देने की शक्ति ।

**43.** (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग और स्वायत्त बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में और कृत्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होंगे, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उन्हें लिखित में दे :

परंतु आयोग और स्वायत्त बोर्डों को, यथासाध्य, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति ।

**44.** केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

आयोग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका

**45.** (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्ट, अपने कार्यवृत्त की प्रतियां, अपने लेखाओं का सार और अन्य जानकारी देगा, जिसकी वह सरकार अपेक्षा करे ।

प्रकाशन ।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, उपधारा (1) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट, कार्यवृत्तों, लेखाओं का सार और अन्य जानकारी को प्रकाशित कर सकेगी ।

विश्वविद्यालयों और आयुर्विज्ञान संस्थाओं की बाध्यताएं ।

**46.** इस अधिनियम के अधीन आने वाला प्रत्येक विश्वविद्यालय और आयुर्विज्ञान संस्था हर समय एक वेबसाइट अनुरक्षित करेगी और अपनी वेबसाइट पर ऐसी सभी सूचनाएं प्रदर्शित करेगी, जो यथास्थिति, आयोग और किसी स्वायत्त बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो ।

आयुर्विज्ञान संस्थाओं में पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना ।

**47.** (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी आयुर्विज्ञान संस्था में किसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अध्ययन कर रहा था, वैसे ही अध्ययन करता रहेगा और ऐसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करेगा तथा ऐसी संस्था, ऐसे प्रारंभ से पूर्व यथा विद्यमान पाठ्यचर्या और अध्ययन के अनुसार, ऐसे छात्र के लिए अनुदेश उपलब्ध कराती रहेगी तथा परीक्षाओं का आयोजन कराती रहेगी और ऐसे छात्र के बारे में यह माना जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है तथा उसे इस अधिनियम के अधीन डिग्री या डिप्लोमा प्रदान की जाएगी ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी आयुर्विज्ञान संस्था को प्रदान की गई मान्यता व्यपगत हो गई है, चाहे यह समय के बीत जाने के कारण हुआ हो या स्वेच्छया अभ्यर्पण के कारण या किसी अन्य कारण से हुआ हो, वहां ऐसी आयुर्विज्ञान संस्था उस समय तक, जब तक कि ऐसे सभी अभ्यर्थी उस संस्था में अपने अध्ययन को पूरा करने में समर्थ नहीं हो जाते हैं, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगी और उसका उपबंध करेगी ।

आयोग, स्वायत बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

**48.** आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी तथा स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य का किया जाना तात्पर्यित हो, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा । 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

**49.** इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार, आयोग या किसी स्वायत्त बोर्ड या किसी राज्य चिकित्सा परिषद् या उसकी किसी समिति या इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले सरकार या आयोग के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

अपराधों का संज्ञान ।

**50.** कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, आयोग या होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत के सिवाय नहीं करेगा ।

केन्द्रीय सरकार की आयोग को अधिक्रांत करने की शक्ति ।

**51.** (1) यदि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है ; या

(ख) आयोग ने, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में बारबार व्यतिक्रम किया है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, आयोग को छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए अधिक्रांत कर सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार, आयोग को इस बात का कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी कि उसे अधिक्रांत क्यों न कर दिया जाए और आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयोग को अधिक्रांत करने वाली किसी अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) सभी सदस्य अधिक्रमण किए जाने की तारीख से अपना पद उसी रूप में रिक्त कर देंगे ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन आयोग द्वारा या उसके निमित्त प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों या निर्वहन किए जाने वाले कृत्यों और कर्तव्यों का, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन किए जाने तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा केन्द्रीय सरकार निदेश दे, प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा ;

(ग) आयोग के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्ति, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन किए जाने तक केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठिति काल के अवसान पर,—

(क) अतिष्ठिति काल को, छह मास से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ; या

(ख) नई नियुक्ति द्वारा आयोग का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में ऐसे सदस्य, जिन्होंने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए थे, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे :

परंतु केन्द्रीय सरकार, अतिष्ठिति काल, चाहे वह अवधि मूल रूप से उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हो या इस उपधारा के अधीन यथाविस्तारित अवधि हो, के अवसान से पूर्व, किसी भी समय, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन एक अधिसूचना जारी करेगी और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई को किए जाने वाली परिस्थितियों से संबंधित एक पूरी रिपोर्ट को सर्वप्रथम अवसर पर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

आयोग, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की संयुक्त

**52.** (1) होम्योपैथी भारतीय चिकित्सा पद्धति और आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति के बीच इंटरफेश का संवर्धन करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार, ऐसे समय और स्थान पर, जो परस्पर नियत किया जाए, आयोग, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति

बैठकें । आयोग और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की संयुक्त बैठक की जाएगी ।

(2) संयुक्त बैठक की कार्यसूची संबद्ध आयोगों के अध्यक्षों के बीच पारस्परिक सहमति से प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(3) संयुक्त बैठक में, उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा, ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षणिक और चिकित्सा मापदंड या कार्यक्रमों को अनुमोदित करने का विनिश्चय किया जा सकेगा, जिन्हें सभी चिकित्सा पद्धतियों में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरंभ किया जा सकेगा और इस प्रकार चिकित्सा बहुलवाद की अभिवृद्धि की जा सकेगी ।

राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि करना ।

**53**. प्रत्येक राज्य सरकार, लोक स्वास्थ्य का पता लगाने या उसकी अभिवृद्धि करने के प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों की क्षमता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय कर सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

**54.** (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम आधार पर आयोग के पांच सदस्यों को नियुक्त करने की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों को नियुक्त करने की रीति ;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किए जाने की रीति ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन घोषणा करने का प्ररूप और रीति ;

(च) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन सचिव द्वारा धारण की जाने वाली अर्हताएं और अनुभव ;

(छ) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां और पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य ;

(झ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन किसी स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ञ) धारा 30 के खंड (घ) के अधीन अन्य कारक;

(ट) धारा 33 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन व्यवसायियों की सूची प्रस्तुत करने की रीति ;

(ठ) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप ;

(ड) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें आयोग द्वारा रिपोर्ट और विवरण तथा किसी ऐसे विषय से संबंधित विशिष्टियां, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत किए जाएंगे;

(ढ) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय ;

(ण) धारा 58 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन नियोजन को समयपूर्व समाप्त करने के लिए प्रतिकर ;

(त) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

**55.** (1) आयोग, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(ख) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार धारा 8 की उपधारा (7) के अधीन विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियोजित किया जा सकेगा तथा ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या ;

(ग) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है ;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन होम्योपैथी की शिक्षा में बनाई रखी जाने वाली गुणवत्ता और मानक ;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों को विनियमित करने की रीति ;

(च) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आयोग, स्वायत्त बोर्डों और राज्य चिकित्सा परिषदों के कार्यकरण को विनियमित करने की रीति ;

(छ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत इसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है ;

(ज) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें अभिहित

प्राधिकरण ऐसे माध्यम से और ऐसी रीति में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा ;

(झ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित प्राधिकरण द्वारा आयुर्विज्ञान संस्थाओं में प्रवेश हेतु सामान्य काउंसेलिंग कराए जाने की रीति ;

(ञ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें अभिहित प्राधिकरण ऐसे माध्यम से और ऐसी रीति में राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन करेगा ;

(ट) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति, जिसमें ऐसा व्यक्ति, जिसके पास विदेशी चिकित्सा अर्हता है, राष्ट्रीय निकास परीक्षा अर्हित करेगा ;

(ठ) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें अभिहित प्राधिकरण ऐसे माध्यम से और ऐसी रीति में जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश संचालित किया जाएगा ;

(ड) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित प्राधिकरण द्वारा सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर स्थानों में प्रवेश हेतु सामान्य काउंसेलिंग कराए जाने की रीति ;

(ढ) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन होम्योपैथी राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने की रीति और अभिहित प्राधिकरण, जिसके माध्यम से ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ;

(ण) धारा 23 के अधीन विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और वह रीति, जो आयोग द्वारा स्वायत्त बोर्डों को उपलब्ध कराई जाएगी ;

(त) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति, जिसमें स्वायत्त बोर्डों का विनिश्चय किया जाएगा ;

(थ) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सभी स्तरों पर सक्षमता आधारित सक्रिय पाठ्यचर्या ;

(द) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन होम्योपैथी में स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाएं स्थापित करने की रीति ;

(ध) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं में पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं और मानक ;

(न) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन होम्योपैथी की आयुर्विज्ञान संस्थाओं में की अवसंरचना, संकाय और शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता संबंधी मानक और सन्नियम ;

(प) धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वृत्तिक आचरण को विनियमित करने और चिकित्सा नैतिकता का संवर्धन करने की रीति ;

(फ) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग की प्रक्रिया ;

(ब) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग का निरीक्षण करने की रीति ;

(भ) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं का संचालन, निर्धारण और रेटिंग करने के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को संचालित करने की रीति और उन्हें पैनलबद्ध करने की रीति ;

(म) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग को वेबसाइट या लोकाधिकारी क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने की रीति ;

(य) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा न्यूनतम अनिवार्य मानकों को बनाए रखने में असफल रहने पर उनके विरुद्ध किए जाने वाले उपाय ;

(यक) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए स्कीम का प्ररूप, उसकी विशिष्टियां, उसके साथ लगाई जाने वाली फीस और स्कीम को प्रस्तुत करने की रीति ;

(यख) धारा 29 की उपधारा (5) के अधीन स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग को अपील करने की रीति ;

(यग) धारा 30 के परंतुक के अधीन ऐसे क्षेत्र जिनके संबंध में मानदंड शिथिल किए जा सकेंगे ;

(यघ) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के विरुद्ध वृत्तिक या नैतिक कदाचार के लिए किसी राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने की रीति और होम्योपैथी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा परिवाद और शिकायतें प्राप्त करने की प्रक्रिया ;

(यङ) धारा 31 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन कारित ऐसे कृत्य या लोप, जो वृत्तिक या नैतिक कदाचार की कोटि में आता है ;

(यच) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ;

(यछ) धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुरक्षण का प्ररूप, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप और उसकी रीति भी है;

(यज) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति, जिसमें किसी नाम या अर्हता को राष्ट्रीय रजिस्टर में जोड़ा जा सकेगा या हटाया जा सकेगा और उन्हें हटाए जाने के लिए आधार ;

(यझ) धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता को प्रविष्टि करने की रीति ;

(यञ) धारा 34 की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के अधीन वह रीति, जिसमें और वह अवधि, जिसके लिए किसी विदेशी नागरिक का अस्थायी

रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा ;

(यट) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं की सूची तैयार करने और उसका अनुरक्षण करने की रीति ;

(यठ) धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन का परीक्षण करने की रीति ;

(यड) धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में आयोग को अपील करने की रीति ;

(यढ) धारा 36 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में कोई चिकित्सा अर्हता सम्मिलित करने की रीति ;

(यण) धारा 35 की उपधारा (8) के अधीन वह रीति, जिसमें होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड ऐसी चिकित्सा अर्हताओं की सूची बनाएगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है ;

(यत) धारा 36 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति, जिसमें आयोग उन चिकित्सा अर्हताओं की सूची बनाएगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

**56.** इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम को, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या दोनों सदन सहमत हो जाते हैं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किन्तु इस प्रकार, उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

**57.** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

**58.** (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 निरसित हो जाएगा और उक्त

1973 का 59

अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विघटित हो जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात या किसी कार्रवाई पर ; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर ; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत किसी शास्ति पर ; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व या शास्ति के संबंध में किसी कार्यवाही या उपचार पर और ऐसी किसी कार्यवाही या उपचार को उसी प्रकार संस्थित किया जा सकेगा, जारी या प्रवृत्त रखा जा सकेगा या ऐसी कोई शास्ति वैसे ही अधिरोपित की जा सकेगी, मानो वह अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया है ।

(3) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के विघटन पर, उस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति और सदस्य के रूप में नियुक्त अन्य प्रत्येक व्यक्ति तथा परिषद् का कोई अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी, जो ऐसे विघटन से ठीक पूर्व ऐसा कोई पद धारण किया हुआ था, वे अपने-अपने पदों को रिक्त कर देंगे और ऐसा अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अपनी पदावधि या सेवा की किसी संविदा के समयपूर्व समापन के लिए तीन मास से अनधिक के वेतन और भत्तों के प्रतिकर का दावा करने के लिए हकदार होंगे :

परंतु ऐसा कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के विघटन से ठीक पूर्व होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त था, वह ऐसे विघटन पर, यथास्थिति, अपने मूल काडर, मंत्रालय या विभाग में वापस चला जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तिक या अन्य कर्मचारी, जिसे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के विघटन से ठीक पूर्व नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर परिषद् द्वारा नियोजित किया गया था, वह केन्द्रीय परिषद् का ऐसा अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तिक या अन्य कर्मचारी नहीं रहेगा और वह अपने नियोजन के समयपूर्व समापन के लिए ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो कम से कम तीन मास का ऐसा वेतन और भत्ता होगा, जो विहित किया जाए ।

(4) पूर्वोक्त अधिनियमिति के निरसन के होते हुए भी, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के अधीन किया गया कोई आदेश, व्यवसाय करने के लिए जारी की 1973 का 59 गई कोई अनुज्ञप्ति, किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण, किसी नई आयुर्विज्ञान संस्था को आरंभ करने या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने या अनुदत्त प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई अनुमति, किसी अनुदत्त चिकित्सा अर्हताओं की कोई मान्यता, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवर्तन में हैं, उनके अवसान की तारीख तक, सभी प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार से प्रवर्तन में बने रहेंगे, मानों उन्हें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन जारी या मंजूर किया गया हो ।

**59.** (1) आयोग, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्, जिसके अंतर्गत उसके समनुषंगी या उसके स्वामित्वाधीन न्यास भी है, के हित में उत्तरवर्ती होगा और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् की सभी आस्तियों और दायित्वों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे आयोग को अंतरित हो गए हैं । संक्रमणकालीन उपबंध ।

1973 का 59 (2) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का निरसन होते हुए भी, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के शिक्षा और चिकित्सा मानक, अपेक्षाएं और अन्य उपबंध तब तक प्रवर्तन और प्रचालन में रहेंगे, जब तक कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन नए मानक या अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट न कर दी जाएं :

परंतु निरसनाधीन अधिनियमिति और उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन शैक्षिक और चिकित्सा मानकों तथा अपेक्षाओं के संबंध में की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी और वह तद्नुसार, तब तक प्रवर्तन में बनी रहेंगी, जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है ।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन नए आयोग के तत्स्थानी विघटित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् के निर्बाध संक्रमण के लिए ऐसे समुचित उपाय कर सकेगी, जो आवश्यक हो ।